न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 99 / 2018

1 बरजी बेवा छोटू पत्नी पन्ना उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी कुंआ डेरड़ा तन रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मोहन सिंह पुत्र पन्ना जाति जाट निवासी कुंआ डेरडा तन रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 उप पंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 पटवारी पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 11.05.2017 न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर जिला सीकर उनवानी बरजी बनाम मोहनसिंह आदि मुकदमा नम्बर 166 / 2016 आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

अपील संख्या 100 / 2018

1 बरजी बेवा छोटू पत्नी पन्ना उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी कुंआ डेरड़ा तन रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 मोहन सिंह पुत्र पन्ना।
2 भूपसिंह पुत्र छोटू।
3 रामावतार पुत्र छोटू समस्त जाति जाट निवासीगण कुंआ डेरडा तन रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 उप पंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 पटवारी पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 11.05.2017 न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर जिला सीकर उनवानी बरजी बनाम मोहनसिंह आदि मुकदमा नम्बर 164/2016

उपस्थिति :

1. श्री मोहनसिंह मूण्ड, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 08.04.2022

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 164/2016 एवं 166/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अंपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा ग्राम गोल्यावाली तन रामपुरा पटवार हल्का झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर बाबत दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.07.2009 को दावा एवं आवेदन अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। अपीलांट को जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में बाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद एवं आवेदन का बाजदायरी आवेदन भी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अलग–अलग अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता ने वाद अदम हाजरी में खारिज होने की सूचना अपीलांट को समय पर नही दी। इस सन्दर्भ में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के बाजदायरी आवेदन पर विस्तृत विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर आवेदन खारिज कर दिया है। इससे अपीलांट प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करवाने से वंचित हो गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये बाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता ने वाद अदम हाजरी में खारिज होने की सूचना अपीलांट को समय पर नही दी। इस सन्दर्भ में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन सजरव अपील अधिकारी
सीकर

बाजदायरी आवेदन पर विस्तृत विवेचन किये बिना सरसरी तौर पर आवेदन खारिज कर दिया है। इससे अपीलांट प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करवाने से वंचित हो गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये बाजदायरी आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूलवाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को पुन नम्बर पर लेकर गुणावगुण पर निर्णय के निर्देशों के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर